8 8/22

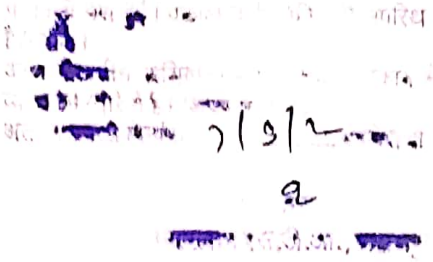

7/9/22

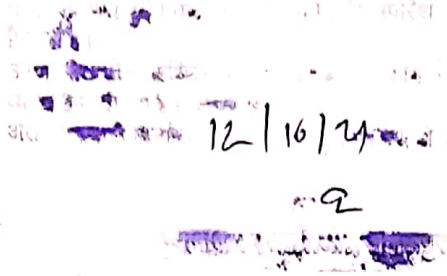

7 9/22

12/10/22

12.10.22 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभय पक्षों की बहस करवाई गई। उभय पक्षों की बहस पुनः सुनी गयी। वास्ते आदेश हेतु पत्रावली दिनांक 19.10.2022 को पेश हो।

19 10/22 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर आदेश पृथक से लिखाया जाकर पारित किया गया। पत्रावली निस्तारित होकर [illegible] हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 36/2019
दायर दिनांक :– 14.03.2019

अनवान

मु. मीरा पुत्री हरनाथ धाकड ना. ब. वि. माता सोहनी देवी नि. सरसिया हाल मु. इन्दोकिया तह. जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. हरनाथ पिता बरदा धाकड नि. सरसिया चारणान तह. जहाजपुर (फौत)
2. हरचन्दा पिता भैरू धाकड नि. सरसिया चारणान तह. जहाजपुर
3. सत्यनारायण पिता भैरू धाकड नि. सरसिया चारणान तह. जहाजपुर
4. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा
5. उप पंजीयक, उप पंजियक कार्यालय खजुरी

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

1. श्री छीतर लाल रेगर, एडवोकेट प्रार्थी
2. श्री अंजनी शर्मा, एडवोकेट अप्रार्थी सं. 2, 3

:: आदेश :: दिनांक 19.10.2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम भरणीकलां प0 ह0 भरणीकलां तह. जहाजपुर की आ. सं. 909, 911, 912, 922, 929, 930, 940 कुल किता 07 कुल रकबा 17–00 बीघा भूमि जमाबन्दी सम्वत 2069 से 2072 में अप्रार्थी सं. 2, 3, 4 के 1/4 हिस्सा व अप्रार्थी सं. 1 के 1/4 हिस्सा, व मूल दावे में प्रतिवादी सं. 5, 6 के 1/8 हिस्सा व गूल दाव में प्रतिवादी सं. 7 से 13 का 1/8 हिस्सा व मूल दावा में प्रतिवादी सं. 14 से 23 के पिता पति के 1/4 हिस्सा राजसव रेकार्ड में दर्ज हैं छगना पिता देवा फोत हो गया हैं जिसके वारीसान मूल दावा में प्रतिवादी सं. 14 से 23 है की ग्राम भरणीकलां प0 ह0 भरणीकलां तह. जहाजपुर की आ. सं. 937 कुल किता 01 कुल रकबा 0–11 बीघा गे मु आचा स्थित है। जो चालू जमाबन्दी में किशना पिता नारायण का 1/30 हिस्सा दर्ज है। जिसमें वर्णित भूमि आ.न. 929, 930, 940 सिंचित होती है। उक्त कृषि आराजियात माफिक सजरा किशना पिता नारायण धाकड के खाते की थी। किशना धाकड नाओलाद फोत हो

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

गया था। किशना धाकड के जीवन काल में ही रूपा, बरदा, देवा फोत हो गए थे। तथा रूपा का लडका छगना, देवा के गोद चला गया था इसलिये उक्त वर्णित कृषि भूमि विरासत से जरिये नामांतकरण सं. 581 से किशना पिता नारायण धाकड के बजाय रामलाल, गोपाल पिता रूपा 1/4, भैरू, हरनाथ पिता बरदा 1/2 व छगना पिता देवा 1/4 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई थी। यह भूमि हरनाथ पिता बरदा धाकड की स्वअर्जित न होकर पैतृक कृषि भूमि हैं तथा हरनाथ धाकड को विरासत से कृषि जमीन प्राप्त हुई हैं तथा हरनाथ धाकड की प्रार्थीया एक मात्र जीवित पुत्री हैं जिसका जन्म से ही पैतृक कृषि भूमि में हरनाथ के साथ बराबबर का हक व अधिकार हैं तथा राज्य सरकार के परिपत्र कमांक पं. 5 (1) राजस्व 6/97/98 दिनांक 08.01.2007 उप शासन सचिव के तहत भी पैतृक भूमि में पिता के साथ साथ पुत्र/पुत्री भी सह कृषक होते हैं चाहे राजस्व रेकार्ड में इसका अंकन नही भी हो, इसलिये पुत्र/पुत्री अपने पिता की पैतृक भूमि में पिता के जीवन काल में ही सह कृषक होने के नाते राजस्व काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अनुसार जोत का विभाजन करा सकते है। चूकि पैतृक भूमि के जोत विभाजन के संबध में पिता या अन्य पुत्र/पुत्री सहमत नही हो तो ऐसी अवस्था में राजस्व काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद कर जोत का विभाजन कराया जा सकता है। इसलिये उक्त वर्णित कृषि जमीन पैतृक होने से प्रार्थीया का जन्म से ही हक व अधिकार हैं तथा उक्त वर्णित कृषि जमीन में व आराजी चाह में प्रार्थीया के पिता हरनाथ के 1/4 हिस्से में से आधा हिस्सा 1/8 हिस्सा की प्रार्थीया घोषणात्मक डिकी द्वारा अपना नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारीणी हैं तथा वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थीया अपना 1/8 हिस्सा व तथा वर्णित आराजी चाह में से 1/120 हिस्सा का प्रार्थीया विभाजन करवाने की विधिक अधिकारीणी है। उक्त जमीन में अप्रार्थी सं 1 हरनाथ का 1/4 हक व हिस्सा राजस्व रेकार्ड मे निहित था जिसका अप्रार्थी सं. 1 ने नाजायज फायदा उठाकर पैतृक कृषि भूमि को यह जानते हुये कि मेरे एक पुत्री प्रार्थीया जीवित है फिर भी प्रार्थीया को पैतृक कृषि भूमि में 1/8 हिस्से से महरूम करने की नियत से अप्रार्थी सं. 1 ने बिना प्रार्थिया की जानकारी के दिनांक 24.12.2018 को अप्रार्थी सं. 2 व 3 के हक में बेचान कर दिया जो प्रार्थीया के 1/8 हक व हिस्सा से ज्यादा किया गया विकय पत्र शुरू से ही शून्य एवं शून्य प्रभावी है। इसलिये प्रार्थीया अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा दिनांक 24.12.20018 को अपने नाम गलत रूप से आया हिस्सा 1/4 को अप्रार्थी सं. 2 व 3 को बेचान किया गया जिसमें से 1/8 हिस्सा शुरू से ही शून्य एवं शून्य प्रभावी होने से अप्रार्थी सं. 2 व 3 को किया गया बेचान में से 1/8 हिस्सा प्रार्थीया सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने की विधिक अधिकारणी हैं तथा 1/8 हक व हिस्सा का विभाजन करवाने व विभाजन के पश्चात प्रार्थीया के हक व हिस्से में काश्त करने से अप्रार्थीगण बेदखल न करे, न अपने नोकर ऐजेन्ट रिश्तेदारो से करे करावे कि अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकारीणी हैं। उक्त वर्णित कृषि आराजियात में अप्रार्थी सं. 1 का 1/4 हक व हिस्सा एवं वर्णित आराजी चाह में 1/30 हक व हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

C:\nirnay\\rider

Scanned with CamScanner

पैतृक होकर विरासत से निहित था। परन्तु अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीया को पैतृक कृषि भूमि से महरूम करने की नियत से उक्त वर्णित कृषि भूमि में 1/4 हिस्से को अप्रार्थी सं 2 व 3 का बेचान कर दिया। अप्रार्थी सं. 1 ने अपने हिस्से से ज्यादा का बेचान किया है जो शुरू से ही शून्य एवं शून्य प्रभावी हैं परन्तु अप्रार्थी सं. 2 व 3 शून्य एवं शून्य प्रभावी विकय पत्र दस्तावेज द्वारा कृषि भूमि को अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवा कर अन्य व्यक्तियों को खुर्द बुर्द विकय, बक्सीस, दान आदि हस्तांरण करने पर आमादा हैं। यदि अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 विकय पत्र के आधार पर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा कर अन्य व्यक्तियों को कृषि भूमि बेचान कर देते है तो प्रार्थीया को काफी मुकदमा बाजी में उलझना पडेगा नाना प्रकार के मुकदमा बाजी को बढावा मिलेगा। जिससे प्रार्थीया को काफी आर्थिक मानसिक क्षति होगी जिसकी तुलना मुद्रा में नही आंकी जा सकेगी। इस कारण मूल वाद पत्र का निस्तारण न हो तब तक उक्त वर्णित कृषि भूमि में अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 खुर्द बुर्द, विकय बेचान, दान आदि हस्तांतरण न करे न करावे, न प्रार्थीया के कब्जा काश्त में बाधा डाले डलवावे से अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुये मूल वाद पत्र के निस्तारण न हो तब तक उक्त वर्णित आराजियात में चले आ रहे कब्जा काश्त में अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 बाधा न डाले, न उक्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द, विकय, हस्तांतरण आदि न करे, न करावे, न अपने नोकर, ऐजेन्ट, रिश्तेदारों से करें करावे एवं अप्रार्थी सं. 4 राजस्व रेकार्ड में परिवर्तन न करे, एवं अप्रार्थी सं. 5 पंजीयन न करें, करावे, एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे से अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का आदेश प्रदान कराये जाने मांग की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 2 व 3 की और से श्री अंजनी शर्मा, एडवोकेट द्वारा अधिकार पत्र पेश कर जवाब पेश किया गया। जिसकी नकल वकील प्रार्थीगण को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सं. 2, 3 की और से जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीया एवं उसकी माता कभी भी अप्रार्थी सं. 1 के साथ नही रहे। अप्रार्थी सं. 1 कई वर्षो से गंभीर रूप से बीमार होने के बावजूद कभी भी प्रार्थीया एवं उसकी माता उसकी सार संभाल करने नही आये। इस दौरान अप्रार्थी सं. 1 बेरोजगार हो गया और अपनी बीमारी के ईलाज व अपने भरणपोषण के लिए ग्रामवासियों से उधार लेकर अपना ईलाज व भरणपोषण करता रहा। अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थीया व उसकी माता से भी निवेदन किया कि वे अप्रार्थी सं. 1 के ईलाज व भरणपोषण में हुये खर्च को चुकावे व भूमि को संभाले तो प्रार्थीया एवं उसकी माता ने साफ ईन्कार कर दिया और कहा कि अप्रार्थी सं. 1 का उनसे कोई संबध नही हैं जब अप्रार्थी सं. 1 का कर्जा हो गया तो अपने कर्जे को चुकाने के लिए ग्राम में अपने खाते की भूमि को विकय करने की चर्चा करने लगा तो अप्रार्थी सं. 2 व 3 के सह खातेदार होने व भूमि अप्रार्थी सं. 2 व 3 की भूमि के समीप होने से अप्रार्थी सं. 1 के खेतो एवं कब्जे काश्त की उक्त भूमि को पुर्ण प्रतिफल राशि देकर कय किया। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 2 व 3 उक्त

उपखण्ड अधिकारी
अजमेर (ग्रामीण)

Scanned with CamScanner

भूमि के सद्भावी केता है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 ने भूमि की कीमत अदा कर भूमि क्रय की हैं और क्रय करने की दिनांक से ही भूमि पर अप्रार्थी सं. 2 व 3 का निरन्तर निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं दिनांक 24.12.2018 को अप्रार्थी सं. 1 ने अपने कर्जे को चुकाने के लिये 150000 रू. प्रतिफल राशि लेकर अपने हिस्से की जायदाद अप्रार्थी सं. 2 व 3 को विक्रय की हैं एवं तब से ही उक्त भूमि पर निरन्तर, निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक अप्रार्थी सं. 2 व 3 कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं प्रार्थीया को उक्त विक्रय को शून्य घोषित करवाने का या उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवान का कोई हक व अधिकार नही हैं अप्रार्थी सं. 1 ने जो विक्रय किया है उसी पूर्ण जानकारी प्रार्थीया एवं उसकी माता को है अप्रार्थी सं. 1 द्वारा भूमि अप्रार्थी स 2 व 3 को विक्रय करने के कई महिनों बाद प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कानूनन मेंटेनेबल नही होने से खारिज किये जाने योग्य हैं प्रार्थीया ने मात्र अप्रार्थी सं. 1 की सम्पति हडपने के लिये यह झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं प्रार्थीया अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की हकदार नही हैं अप्रार्थी सं. 1 भूमि का खातेदार काश्तकार होने से उसके अपनी सद्भाविक आवश्यकता की पूर्ति हेतु अति आवश्यक एवं विकट परिस्थितियों मे उक्त भूमि का विक्रय किया है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 के सहखातेदार होने व भूमि अप्रार्थी सं. 2 व 3 की भूमि के समीप होने से अप्रार्थी सं. 1 के खाते एवं कब्जे काश्त की उक्त भूमि को पूर्ण प्रतिफल राशि देकर क्रय किया इस प्रकार अप्रर्थी सं. 2 व 3 उक्त भूमि के सद्भावित केता हैं भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 2 व 3 का कब्जा हैं इस प्रकार अप्रार्थी सं. 2 व 3 का प्रथम दृटष्या प्रकरण होकर सुविधा संतुलन भी अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष में हैं अप्रार्थी सं. 1 द्वारा भूमि अप्रार्थी स. 2व 3 को विक्रय करने एवं कब्जा संभलाये जाने के काफी महीनो बाद प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया जो राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार का नही होकर माननीय सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का हैं पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराये बिना प्रार्थीया किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की हकदार नही हैं अतः निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र झूठे एंव गलत तथ्यो पर आधारित होने से मय हरजे खर्चे खारीज फरमावे।

हमने वकील उभयपक्षों की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने बहस के दौरान बताया कि उपरोक्त विवादित आराजियात में प्रार्थी का अपने हक हिस्सेनुसार निरन्तर कृषि भूमि पर कब्जे काश्त हैं उक्त कृषि भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 की पुस्तैनी कृषि भूमि हैं प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 हिन्दू विधिक से शास्ति हैं। उपरोक्त आराजियात पुश्तैनी होकर प्रार्थिया अप्रार्थी सं. 1 की पुत्री होने से उक्त भुमि की वारिसान है। एवं हिन्दु लॉ अधिनियम के अनुसार प्रत्येक सदस्य का जन्म से पिता की सम्पति में बराबर का हकदार है। अप्रार्थी सं. 2 व 3 उक्त विवादित भूमि को विक्रय/खुर्दबुर्द कर देते है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टिया हैं। सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया गया तो प्रार्थी को अमुल्य क्षति होगी जिसका मुल्यांकन करना

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

संभव नही होगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजियात पर अप्रार्थीगण सं. 2 व 3 विकय, रहन, बक्सीस, दान आदि हस्तांतरण न करे न करावे प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी स्वयं न करे या अन्य किसी से न करावें और मौके और रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत आदेश प्रदान कराना फरमावे।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान बताया कि दिनांक 24.12.2018 को अप्रार्थी सं. 1 ने अपने कर्जे को चुकाने के लिये 150000 रू. प्रतिफल राशि लेकर अपने हिस्से की जायदाद अप्रार्थी सं. 2 व 3 को विकय की हैं एवं तब से ही उक्त भूमि पर निरन्तर, निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक अप्रार्थी सं. 2 व 3 कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है प्रार्थीया को उक्त विकय को शून्य घोषित करवाने का या उक्त भूमि को अपने नाम दर्ज करवान का कोई हक व अधिकार नही हैं अप्राथी सं. 1 ने जो विकय किया है उसी पूर्ण जानकारी प्रार्थीया एवं उसकी माता को है अप्रार्थी सं. 1 द्वारा भूमि अप्रार्थी स 2 व 3 को विकय करने के कई महिनों बाद प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो कानूनन मेंटेनेबल नही होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। उक्त भूमि को पूर्ण प्रतिफल राशि देकर कय किया इस प्रकार अप्रर्थी सं. 2 व 3 उक्त भूमि के सदभावित केता हैं भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं. 2 व 3 का कब्जा हैं इस प्रकार अप्रार्थी सं. 2 व 3 का प्रथम दृटष्या प्रकरण होकर सुविधा संतुलन भी अप्रार्थी सं. 2 व 3 के पक्ष में हैं प्रार्थीया ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया जो राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार का नही होकर माननीय सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का हैं पंजीकृत विकय पत्र को निरस्त कराये बिना प्रार्थीया किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने की हकदार नही हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हरजे खर्चे खारीज फरमावे।

वकील उभयपक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार उपरोक्त वर्णित भूमि पुश्तैनी होकर विरासत से अप्रार्थी सं. 1 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है। जिसकी ताईद प्रस्तुत जमाबन्दी नकल सम्वत 2023 से 2026 एवं नामान्तरण सं. 581 से होती है। जिसके अनुसार विवादित आराजी विरासत से अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज हुई है। अप्रार्थी सं. 1 हरनाथ धाकड द्वारा उक्त विवादित भूमि हरचन्दा, सत्यनारायण पिता भैरू धाकड को बेचान कर दी है। परंतु प्रार्थी का तर्क ये है कि उक्त भूमि पुश्तैनी होने से जन्म से ही अप्रार्थी सं. 1 हरनाथ के हिस्से में से 1/2 हिस्से का अधिकार रखती थी। अप्रार्थी सं. 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा स्वयं को सदभावी केता बताया गया है, परंतु उन्होने अप्रार्थी सं. 1 को संपूर्ण भूमि को बेचे जाने का विधिक अधिकार रखने के बारे में कुछ भी नही बताया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु एक सदभावी केस प्रस्तुत किया गया है। जिसका विचारण उपरांत निर्णय किया जायेगा। अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण पाया गया है। यदि

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट (दौसा)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी सं. 2 व 3 उक्त विवादित भूमि को विक्रय/खुर्दबुर्द कर देती है तो वाद बाहुल्यता बढेगी। और प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की स्थिति में यथास्थिति बनी रहेगी। उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है, अतः न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम भरणीकलां प0 ह0 भरणीकलां तह. जहाजपुर की आ. सं. 909, 911, 912, 922, 929, 930, 940 कुल किता 07 कुल रकबा 17–00 बीघा तथा आ. सं. 887 कुल किता 01 कुल रकबा 0–11 बीघा में मूल वाद के निस्तारण तक उक्त भूमि की रेकार्ड की यथास्थिति बनाई रखने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner